वित्तीय स्वीकृति

संख्या-10/2017/515/18-2-2017-30(2)/2007टीसी

प्रेषक

पन्ना लाल
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार बनाने हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उद्योग के पत्र संख्या-10/4-वित्त/बजट मांग/2017-18, दिनांक 04-8-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार परक बनाने हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजनान्तर्गत व्यवस्थित धनराशि रू0 486.00 लाख (रू0 चार करोड़ छियासी लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष रू0 283.50 लाख (रू0 दो करोड़ तिरासी लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं व्यय तभी किया जायेगा जब वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय नियंत्रण एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनावश्यक एवं अनुपयोगी व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी प्रतियां वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/6 व समाज कल्याण अनुभाग(बजट प्रकोष्ठ) को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(5) स्वीकृत धनराशि से सामूहिक प्रशिक्षण योजना में एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. की धनराशि से केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को आच्छादित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in